निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1942 (श0)
(सं0 पटना 380) पटना, सोमवार, 29 जून 2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना
29 जून 2020

सं० **वन क्षेत्र पदा0–06/2012–2081/प०व०** —भारत-संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2013 का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–
   (1) यह नियमावली, ''बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2020'' कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगी।
2. **वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2013 का नियम–2(ii) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली का नियम–2(ii) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–**

   2(ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य कोई पर्षद्/आयोग/प्राधिकार ;
3. **वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2013 का नियम–11 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली का नियम–11 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–**

   11 **लिखित परीक्षा।**– आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिये कुल अंक, परीक्षा के विषयों का विनिश्चय आयोग द्वारा किया जायेगा। परीक्षा के परीक्षाफल हेतु न्यूनतम अर्हतांक के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार लिया जायेगा। लिखित परीक्षा के मानक एवं प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 29th June 2020

No. Van Kshetra Pada.- 06/2012-2081/E.F& CC.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Range Officer of Forests Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2013 :-

1. Short title, extent and commencement :-

(1) These Rules may be called the "Bihar Range Officer of Forests Cadre (Recruitment and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2020".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication of notification.

2. Substitution of Rule 2(ii) of the Bihar Range Officer of Forests Cadre (Recruitment and Services Conditions) Rules, 2013.- Rule 2(ii) of the said rules shall substituted as follows:-

2(ii) "Commission" means the Bihar Police Sub-Ordinate Service Commission or any other Board/Commission/Authority decided by State Government time to time.

3. Substitution of Rule- 11 of the Bihar Range Officer of Forests Cadre (Recruitment and Services Conditions) Rules, 2013.- Rule- 11 of the said rules shall be substituted as follows:-

11. **Written Examination**:- The Commission will conduct the written examination. Determination of total marks, subjects for the examination shall be done by the Commission. Decision regarding minimum eligibility marks for the result of the examination shall taken by the Commission in accordance with the guidelines issued by the Government of Bihar. Standard and procedure of the written examination shall be laid down by the Commission.

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 380-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in